राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	सुन्दरी बनाम भागीरथ हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24/03/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई | अधिवक्ता अपीलार्थी उपस्थित | रेस्पो. बाद तामील अनुपस्थित | अधिवक्ता अपीलार्थी ने निवेदन किया कि अपीलार्थी की और से लिखित बहस पेश की हुई है | अत: लिखित बहस के परिपेक्ष्य में पत्रावली का निर्णय किया जावे | अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किये जाने से अपीलार्थी द्वारा लिखित बहस पूर्व में ही पेश किया जाना जाहिर होता है | संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत बटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का इस आशय का प्रस्तुत किया कि हाल खसरा नम्बर 397/0.10, 398/0.10, 399/0.17, 400/0.20, 413/0.02, 414/0.33 कुल किता-6 कुल रकबा-0.92 हैक्टेयर वाके ग्राम नाथावाला, तहसील शाहपुरा के 2/3 भाग का वादी व 1/3 भाग के प्रतिवादी संख्या 1 खातेदार काश्तकार है, जिसे वादी व प्रतिवादी संख्या 1 अपने-अपने हिस्से अनुसार आपसी मनबट से काबिज रहकर काश्त व उसका उपयोग-उपभोग करते आ रहे है | वादी ने खसरा नम्बर 413 में करीब 13 वर्ष पूर्व बोरिंग का निर्माण कर उसमे अपने नाम से विधुत कनेक्शन ले रखा है | खसरा नम्बर 414 में आम, टीकर, बबूल आदि के पेड़ लगा रखे है | खसरा नम्बर 400 के उत्तरी सींव पर अरडू, नीम, लेसूआ व खसरा नम्बर 397 के 0.07 हैक्टेयर उत्तरी पूर्वी तरफ में आम के दो वृक्ष लगा रखे है व खसरा नम्बर 400, 397 की सिंचाई हेतु बोरिंग से प्लास्टिक के दबा रखे है व अपने 2/3 भाग की भूमि पर काबिज रहकर काश्त व उसका उपयोग-उपभोग करता आ रहा है, जिससे प्रतिवादीगण का कोई सम्बन्ध नही है | प्रतिवादी संख्या 1 लगा. 2 एक संगठित व झगड़ालू महिला है, जिन्होंने वादी के विरुद्ध एक नाजायज संगठन बना रखा है व बिना किसी अधिकार के वादी को उसके 2/3 भाग की भूमि से जबरन बेदखल कर स्वयं कब्जा कर, बिना बंटवारे के आराजी के विशिष्ट भू-भाग को विक्रय करने, भूमि मुतनाजा में खड़े हुए वृक्षों को जबरन काटने व पुख्ता निर्माण करने, भूमि की किस्म परिवर्तन पर आमादा है, जिसका कानूनन उनको कोई अधिकार नही है | वाद पत्र के अन्त में निवेदन किया गया है किआराजी खसरा नम्बर 397 से 400, 413, 414 किता 6 रकबा 0.92 हैक्टेयर ग्राम नाथावाला के वादी 2/3 भाग का बंटवारा कराया जाकर हाल आराजी खसरा नम्बर 413/0.02, 414/0.33, 400/0.20 सम्पूर्ण, 397/0.10 में से उत्तरी 0.07 कुल 0.62 हैक्टेयर वादी के बंटवारे में दी जाकर उसका पृथक से राज लगान निर्धारित किया जाकर वादी के नाम पृथक से खातेदारी दर्ज की जावे एवं राजस्व रिकार्ड व नक्शा ट्रेस में		

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	सुन्दरी बनाम भागीरथ हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30/8/2020		

अमल दरामद करवाया जावेतथा प्रतिवादीगण, उनके नोकर, प्रतिनिधि, एजेन्ट को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे |

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत होने पर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये | तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली लोक अदालत में नियत कर दोनों पक्षों द्वारा मुताबिक राजीनामा लोक अदालत में निर्णित किये जाने का कथन किया जाना अंकित करते हुये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 21/11/2013 पारित कर मुताबिक राजीनामा बंटवारा डिक्री कर दिया गया | जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील प्रार्थना पत्र धारा-5 कानून मियाद के साथ पेश की गयी है | जिस पर रेस्पो. के बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर अपीलार्थी द्वारा अपनी लिखित बहस पेश की गयी एवं लिखित बहस के आधार पर अपील का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया गया |

अत: अपीलार्थी की लिखित बहस के परिपेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया | अपीलार्थी द्वारा की गयी बहस अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिकाओ के अवलोकन से उचित प्रतीत होती है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेशिका/आदेश दिनांक 21/11/2013 पर अपीलार्थीयां अथवा उनकी और से अधिवक्ता के उपस्थिति स्वरूप हस्ताक्षर उपलब्ध नही है, इससे अपीलार्थीयां को नही सुना जाना तथा अपीलाधीन निर्णय की अपीलार्थीयां को जानकारी समय पर नही होने के तर्को की पुष्टी होती है | अत: न्यायहित में प्रार्थना पत्र धारा-5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जाता है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 21/11/2013 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलार्थीयां सहित समस्त पक्षकारान की सुनवाई राजीनामा एवं गुणावगुण पर करते हुये उद्धरित तथ्यों का विस्तृत विवेचन कर विधिसम्मत निर्णय व डिक्री पुन: पारित करे | तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 24/03/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर